न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./42/2020/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. भींयाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी तहसील शिव जिला बाड़मेर	बनाम	1.कौशलाराम पुत्र गोमाराम 2.बाबूदेवी पत्नी कौशलाराम जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी तहसील शिव जिला बाड़मेर। 3.मैनेजर, बीसीसीबी, सवाऊ पदमसिंह 4.राज.राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 163/2011 बअनवान कौशलाराम बनाम भींयाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.11.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री लाधूराम पूनिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुरेश चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 16.09.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 की संयुक्त एवं क्रयसुदा अविभाजित खातेदारी के खेत मौजा मूढणों की ढाणी पटवार क्षेत्र उण्डू तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 57, 265, 266 रकबा क्रमशः 151.11, 0.02, 20.16 बीघा समस्त रकबा 172.09 बीघा व खेत खसरा संख्या 349/59 रकबा 23 बीघा धरजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 451/266 रकबा रकबा 01.05 बीघा के आये हुए है। वादी सख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 01 की अपीलाधीन आराजी पैतृक सम्पति है एवं प्रतिवादी संख्या 02 ने पूर्व सहखातेदार धापूदेवी पत्नी गंगाराम से उसका सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा पंजीबद्ध विक्रय पत्र खरीद की है। उक्त वादग्रस्त आराजी मौजा मूढणों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 57, 265, 266 में वादीगण का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है एवं खेत खसरा संख्या 349/59 में वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा आया हुआ है एवं मौजा धरजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 451/266 में वादीगण का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा आया हुआ है। इसी अनुसार वादीगण एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण ने बंटवाड़े की इस्तदुआ चाही। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा निर्णय व डिक्री मनमर्जी से पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित की गई तथा अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति बताई गई लेकिन पत्रावली पर अपीलांट अधिवक्ता की बहस नहीं सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांट द्वारा पेश कांउन्टर क्लेम का कहीं पर भी हवाला नहीं दिया गया। वादीगण द्वारा आपस में दुरभिसंधि कर विधि विरूद्ध तरीके से बिना किसी प्रतिफल के बेचान वादीनी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित करवाया गया है जो समस्त तथ्य अपीलांट को जवाबदावा, प्रतिदावा व साक्ष्य से भलीभांति प्रमाणित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रतिदावा को अनदेखा करते हुए उनके बारे में लेशमात्र भी विचार किये बिना ही अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई जो पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से काबिले निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित की गई तथा अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति बताई गई लेकिन पत्रावली पर अपीलांट अधिवक्ता की बहस नहीं सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांट द्वारा पेश कांउन्टर क्लेम का कहीं पर भी हवाला नहीं दिया गया। वादीगण द्वारा आपस में दुरभिसंधि कर विधि विरूद्ध तरीके से बिना किसी प्रतिफल के बेचान वादीनी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित करवाया गया है जो समस्त तथ्य अपीलांट को जवाबदावा, प्रतिदावा व साक्ष्य से भलीभांति प्रमाणित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रतिदावा को अनदेखा करते हुए उनके बारे में लेशमात्र भी विचार किये बिना ही अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि की दृष्टि में किसी भी प्रकार से दूषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की गई। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नीयत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अनुसार सहखातेदारों के मध्य हिस्सा बराबर–बराबर किया गया है किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थी तथा उसके बाद कोविद–19 के चलते लॉकडाउन के कारण न्यायालय में नियमित कार्यवाही नहीं होने के कारण कोई जानकारी नहीं हो सकी तथा वर्तमान में न्यायालय में नियमित कार्यवाही प्रारम्भ होने पर न्यायालय में हाजिर होकर अपने वाद के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि वाद का निर्णय हो चुका है जिस पर अपीलांट ने आलोच्य निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 24.07.2020 को प्राप्त की जिस पर सर्वप्रथम विधिवत जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मातहत अदालत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 दानों की अपीलाधीन आराजी पैतक संपति है तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 बाबूदेवी ने अपीलाधीन आराजी की पूर्व खातेदार धापूदेवी से उसका संपूर्ण 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान क्रय किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। प्रतिवादी/अपीलांट के काउंटर क्लेम में उसने अपना आधा हिस्सा चाहा जो सिद्ध करने के लिए कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की गई। इसके विपरीत रेस्पोडेंट संख्या 02 बाबूदेवी ने 1/2 हिस्सा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान खरीद की जिससे वह खातेदारी हक–हकूक प्राप्त कर चुकी तथा रजिस्ट्रर्ड बेचान निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है लिहाजा अपीलांट का कांटर क्लेम प्रमाणित नहीं होने से मान्य नहीं है। इस दृष्टि से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत एवं राजसव अभिलेखों से प्रमाणित पुष्ट है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को नाहय तंज व परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। **अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैः और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।** अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 163/2011 बअनवान कौशलाराम बनाम भींयाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.11.2019 को यथावत रखा जाता है।

16/9/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/9/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner